तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 144 / 2017	
28.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता ,पता " ए " रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.08.2017 में उसके द्वारा (1) कार्यालय जिला रसद अधिकारी के अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक भावना दयाल का तबादला जोधपुर से भोपालगढ, फिर लूणी तथा पुनः सिरोही किये जाने पर एक वाद कैट (सिविल सेवा अपील अधिकरण) में दायर किया जाने पर स्थानान्तरण पर रोक (स्टे) की पालना नहीं करने पर अतिरिक्त खाद्य सचिव पी. रमेश आई.ए.एस. शासन सचिव राजीव ठाकुर तथा जिला रसद अधिकारी निर्मला मीणा को अवमानना मामले में 14 जुलाई 2017 को व्यक्तिगत पेश होने के जारी नोटिस पूर्व स्थानान्तरण निरस्त किये जाने पर जनधन का कितना नुकशान सरकार को भते–काल स्थानान्तरण रूप में हुआ है, बतावे। बिना कार्य से कैंट को अन्य कितने प्रकरण केट में लम्बित रहे थे, बतावे। व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1134 दिनांक 04.08.17 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	